सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या:— 16/2019 दायर दिनाँक 03.09.2019

आवेदक		अनावेदकगण
1. सूरजाराम पुत्र देवाराम जाति जाट, निवासी—चौलुखां तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मुबारक खां पुत्र सांवत खां 2. मीरबक्ष खां पुत्र सांवत खां समस्त जातिगण कायमखानी निवाणगण चौलुखां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थित:—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रार्थी।
2.

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 03.03.2020

यह है कि ग्राम चौलुखां पटवार हल्का चौलुखां, भू—अभिलेख निरिक्षक दौलतपुरा तहसील डीडवाना की राजस्व भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अपने खेत खसरा नम्बर 91 रकबा 01.57 बीघा, जो मौजा चौलुखां में अवस्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 91 में वर्तमान में मेरे खेत तक पहुचने हेतु कोई रास्ता नही है। जिस हेतु नये रास्ते के लिये आवेदन कर रहा हैं अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तामिल लेने से इनकार एवं न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जॉच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 127 दिनाँक 21.01.2020 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 90 में से होकर दर्शित मार्क ए से बी तक की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर 91 की भूमि में जाती है।

विद्वान वकुलाय आवेदक की सारगर्भित उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीपक्ष आवेदन को स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे हैं। वकुलाय प्रार्थीपक्ष की बहस पर मनन् किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। सरहद चौलुखां के खसरा नम्बर 91 रकबा 01.57 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने—जाने के लिए निकटतम रास्ता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–16 / 2019 दायर दिनाँक 03.092019 निर्णय दिनाँक 03.03.2020 सुरजाराम बनाम मुकारब, वगैरा।

उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए बी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 91 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 91 वाके सरहद चौलुखां में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 127 दिनाँक 21.01.2020 में दर्शित मार्क ए बी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का वर्तमान डी0एल0सी0 दर 27225/– प्रति बीघा के हिसाब से प्रभावित रास्त के क्षैत्रफल का 6492रू होता है जिसका दुगुना 12984/– अक्षरे बारह हजार नो सौ चौरासी रूपये प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.05.07 10:48:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: